



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 8, 2013/पौष 18, 1934

No. 80]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 8, 2013/PAUSA 18, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2013

का.आ. 84(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2943(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 18 नवम्बर, 2009 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

(क) उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में,—प्रविष्टि “विशेष उप-कलेक्टर (भू.अ.), पी.एस.वी.पी. यूनिट-5, ओंगोल” के स्थान पर प्रविष्टि “विशेष कलेक्टर (भूमि अर्जन), पी.एस.वेलिगोन्दा परियोजना, ओंगोल” प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआईयू-नेल्लोर/नोटिफ/एलए(एचक्यू)-2009]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 2943(अ), तारीख 18 नवम्बर, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 18 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2013

S.O. 84(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2943(E), dated the 18th November, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 14th August, 2012, namely :—

(a) In the preamble of the said notification,—for the entry “Special Deputy Collector (LA), P.S.V.P., Unit-5, Ongole”, the entry “Special Collector (LA), P. S. Veligonda Project, Ongole” shall be substituted.

[F. No. NHA/PIU-NIR/Notif/LA(HQ)-2009]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Foot Note : The Principal notification was published vide S.O. 2943(E), dated the 18th November, 2009 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th November, 2009.